न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00044

1. सूरज्या बाई पत्नी स्व0 मोहन लाल आयु 62 वर्ष ।
2. धनराज आत्मज मोहन आयु 42 वर्ष ।
3. विष्णु आत्मज मोहन आयु 37 वर्ष जाति सांसरी निवासीगण डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. परसराम आत्मज किशोर जाति सांसरी निवासी डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री दयाराम सेन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमन्त कृष्ण विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 21.12.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम डूगरज्या तहसील दीगोद में कुल 03 किता की 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पूर्व में वादिनी कम 01 के ससुर व वादी कम 2 व 3 के दादा व प्रतिवादी कम 01 के पिता किशोर के खाते में दर्ज थी किशोर जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि किशोर जी के पुत्र श्रवण के नाम दर्ज हुई । किशोर जी के 03 पुत्र श्रवण, परस राम तथा वादिनी के पति व वादी कम 2 व 3 के पिता मोहन हैं । किशोर जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि श्रवण जी के नाम दर्ज हुई । श्रवण जी की लाऔलाद मृत्यु हो गयी तथा प्रतिवादी कम 01 ने उक्त भूमि प्रतिवादी कम 04 से मिली भगत कर अपने नाम दर्ज करवा ली । उक्त भूमि

रिज्यूम चाकरी सासरी गिरी की भूमि है और वादीगण व उनके पति व पिता तथा उनके दादा उक्त चाकरी गिरी का काम करते थे जिसके एवज में उक्त भूमि को काश्त करते थे । श्रवण की मृत्यु के बाद वादीगण के पति व पिता मोहन ने चाकरी गिरी का काम किया किन्तु प्रतिवादी क्रम 01 ने अपने भ्राता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज न करवाकर श्रवण की मृत्यु के बाद उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली । माफी रिज्यूम हो चुकी है दौराने सेटलमेंट उक्त भूमि में प्रतिवादी क्रम 01 के नाम दर्ज कर दिया गया जबबकि वादीगण का भी प्रतिवादी क्रम 01 के साथ 1/2 हिस्सा है । बाद सेटलमेंट उक्त भमि के नये खसरा नम्बर 149 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 448 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 710 रकबा 2.67 हैक्टर कुल 03 किता की 2.95 हैक्टर कामय किये गये । प्रतिवादी क्रम 01 के साथ वादीगण का भी उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा है । वादिनी क्रम 01 विधवा महिला है तथा वादी क्रम 2 व 3 की नाबालिग अवस्था में प्रतिवादी क्रम 01 ने उक्त समस्त भूमि पर कब्जा कर रखा है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी में से 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित करावे तथा उक्त भूमि का विभाजन करवाकर विधिवत रूप से कब्जा प्राप्त करें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में से वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा रिज्यूम चाकरी सांसरी गिरी का नोट खाते से हटाया जावे । वादग्रस्त आराजी का वादीगण तथा प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादीगण के 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण के खाते अलग से दर्ज की जावे तथा अलग से लगान कायम किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण को उनके 1/2 हिस्से की भूमि को काश्त करने से नहीं रोके और न ही वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 26.06.2018 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उक्त भूमि के बाबत् दावा चला जिसका निर्णय हो चुका है । पूर्व का दावा केवल मात्र रिज्यूम चाकरी सांसरी के नोट को हटाने बाबत् था और उक्त निर्णय की पालना में दावा पेश होने तक उक्त नोट नहीं हटाया गया इस कारण वादीगण ने वाद पेश किया जो सरसरी तौर पर खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दिनांक 26.06.2018 को निर्णय सुनाया गया तथा कहा कि निर्णय बाद में लिखा दिया जावेगा । अपीलान्ट कई बार तीन–चार माह तक अधीनस्थ न्यायालय के चक्कर लगाता रहा तो पता चला कि अभी तक निर्णय नहीं लिखाया गया है तथा दिनांक 26.10.2018 को जानकारी मिली की निर्णय लिखा दिया गया है

इस पर उसी दिन नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 13.11.2018 को नकल प्राप्त हुई और यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था और यह कथन किया था कि किशोर जी के तीन पुत्र श्रवण, परसराम तथा वादिनी क्रम 01 के पति व वादी क्रम 2, 3 के पिता मोहन हैं । किशोर जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि श्रवण जी के नाम हुई । श्रवण जी की लाऔलाद मृत्यु हो गयी तथा प्रतिवादी क्रम 01 ने उक्त भूमि को प्रतिवादी क्रम 04 से मिली भगत करके अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि यह, आराजी रिज्यूम सांसरी चाकरी गिरी की थी और वादीगण के पिता एवं पति भी अपने दादा के साथ चाकरी गिरी का काम करते थे । तद्नुसार वादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखकर खारिज किया गया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील विलम्ब से पेश की गई है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । निर्णय दिनांक 26.06.2018 का है जिसकी अपील 28 जनवरी, 2019 में पेश की गई है । धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि "अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दिनांक 26.06.2018 को निर्णय सुनाया गया तथा कहा कि निर्णय बाद में लिखा दिया जावेगा । अपीलान्ट कई बार तीन–चार माह तक अधीनस्थ न्यायालय के चक्कर लगाता रहा तो पता चला कि अभी तक निर्णय नहीं लिखाया गया है तथा दिनांक 26.10.2018 को जानकारी मिली की निर्णय लिखा दिया गया है" । अपीलान्ट का यह कथन तर्क संगत नहीं है । यदि निर्णय सुनाया गया था तो उन्हें नकल की दरखास्त लगानी चाहिए थी न कि चक्कर लगाने चाहिए थे । उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 13.11.2019 को उन्हें नकल प्राप्त हो गई थी उसके बाद भी अपील दिनांक 28 जनवरी, 2019 को पेश की गई है । इस विलम्ब का कारण नहीं बताया है । रेस्पोडेन्ट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया है । अपीलान्ट ने जानबूझकर विलम्ब किया है जो क्षम्य नहीं है । अपीलान्ट यह कथन करते हैं कि वादग्रस्त आराजी किशोर जी को माफी चाकरी में मिली थी परन्तु उनके द्वारा अपने दावे के साथ अथवा अपील में भी ऐसी कोई नकल जमाबन्दी पेश नहीं की है जिसमें किशोर का नाम अंकित हो वरन् उनके द्वारा सन् 2003 की जो नकल जमाबन्दी पेश की है जिसमें श्रवण का नाम अंकित है । यह भूमि स्टेट टाइम सेवा के लिए प्रदान की गई थी । वादीगण के पिता एवं पति काफी समय पहले भरतपुर चले गये थे उनके द्वारा सांसरी गिरी नहीं की गई थी इसलिए जब माफी रिज्यूम हुई तब जो सांसरी गिरी का कार्य कर रहे थे उन्हीं का नाम खाते में दर्ज किया गया । अपील में रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक शपथ पत्र भी पेश किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि अपीलान्ट क्रम 01 सूरज्या बाई के पति 1950 में भरतपुर चले गये थे और वहॉ मोहन लाल ने भरतपुर जिले की एक पंचायत में

चपरासी की नौकरी की थी और स्थानान्तरण होकर कोटा जिले में आये थे । जहॉ से बाद में नौकरी में ही निधन होने से उसकी पत्नी सूरज्या बाई की अनुकम्पा नियुक्ति लगी थी जो वर्तमान में पंचायती राज में चपरासी हैं । मात्र यह कथन करने कि लोक अदालत का निर्णय है उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । वादी ने अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए अपील में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । लोक अदालत में मजमेआम में वादी कम 01 और प्रतिवादी उपस्थित हुए हैं और उनकी पूर्ण सुनवाई करके विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली धारा 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के जवाब में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी कम 01 और प्रतिवादी की उपस्थिति दर्ज की गई है । वादी कम 02 और 03 उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है जो अवैध है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक रूप से राजीनामा पेश किया हो । जहॉ तक रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र का प्रश्न है इसके आधार पर अपील में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्षीय साक्ष्य के उपरान्त ही निर्णय लिया जा सकता है । न तो पेश किये गये दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है और न ही पक्षकारान की साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में हुई है । लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं होता है । राजीनामे के अभाव में उभयपक्षीय साक्ष्य ली जाकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना सीपीसी के अनुसार अनिवार्य होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः हम इस प्रकरण में विलम्ब का शमन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करना उचित समझते हैं क्योंकि ऐसा निर्णय जो अवैध होता है उसमें मियाद का प्रश्न गौण हो जाता है । तद्नुसार धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य किया जाता है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा–निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रतिवादीगण से जवाबदाव़ा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/12/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा